न्याय आपके द्वार अभियान 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील संख्या – 2/2017

अपीलान्ट – मोहनराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी रिड़ तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

रेस्पोडेन्ट – 1. सरपंच ग्राम पंचायत रिड़ पंचायत समिति परबतसर।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक रिड़
3. पटवारी हल्का रिड़
4. संतोष पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी रिड़ तहसील परबतसर।

नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 14.05.2018

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह नामान्तकरण अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने उक्त आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। राजस्व ग्राम रिड़ की सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 880 रकबा 1.87 हैक्टेयर स्थित है। उक्त विवादित आराजी की खातेदारी देवाराम पुत्र केसरा जाति जाट, यदुवंशी, तेजराज पि0 ब्राम्हण निवासी रिड़ के नाम दर्ज है जबकि उक्त विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से ही अपीलान्ट का काश्त कब्जा चला आ रहा है। खातेदारी गलती से उपरोक्त के विरूद्व दर्ज हो गयी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने से अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है तथा अपीलान्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था। उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के द्वारा निर्णय पारित हो चुके है तथा अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी राजस्थान नागौर के निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा है। यदुवंशी, तेजराम पि0 सूरजमल ब्राम्हण ने उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि का सन्तोष पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी रिड़ को रजिस्टर्ड बैचान कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन आदेश के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने क्रेता सन्तोष पत्नी शिवराम जाट के नाम बिना रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

एवं मौके की जांच किये ही दिनांक 06.03.2017 को नामान्तकरण संख्या 201 भर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जांच कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्व उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत रिड़ के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 201 अपीलान्ट के अधिकारों के आगे निष्प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय में वादग्रस्त है तथा विवादित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश हो रखे है जिससे नामान्तकरण संख्या 201 स्वीकृत दिनांक 06.03.2017 अपास्त किये जाने योग्य है। अगर उक्त नामान्तकरण निरस्त नहीं किया गया तो अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठाराधात होगा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का औचित्य ही खत्म हो जायेगा एवं अपीलान्ट अपने अधिकारों से हमेशा से महरूम हो जायेगा। अपील अन्दर मयाद है। अतः ग्राम पंचायत रिड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 201 दिनांक 06.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई प्रार्थी संतोष पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी रिड़ के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर उन्हे पक्षकार बनाया गया। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प रिड़ में रखा गया।

अपीलान्ट का कथन है कि उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का शुरू से कब्जा काश्त है मगर खातेदारी देवाराम पुत्र केसरा जाति जाट, यदुवंशी, तेजराज पि0 ब्राम्हण निवासी रिड़ के नाम दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट के द्वारा खातेदारी अधिकारो की धोषणा बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश है। बावजूद स्थगन के खातेदारों ने भूमि का संतोष पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी रिड़ के पक्ष में बैचान कर दिया गया तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद भी क्रेता के पक्ष में उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। अगर यह नामान्तकरण प्रभावी रहता है तो अपीलान्ट अपने अधिकारों से हमेशा से महरूम हो जायेगा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। स्थगन आदेश होने से उक्त नामान्तकरण गैरकानूनी है जिसे निरस्त किया जावे।

उपस्थित पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश है। इसके बावजूद भी क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो गैर कानूनी है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में अधिकारों का निर्धारण वाद पत्र के माध्यम से होना है। दौराने सुनवाई वाद व स्थगन के राजस्व रेकर्ड में जो परिवर्तन

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

किया गया वो गैर कानूनी है तथा इससे वाद व प्रार्थना पत्र की महत्ता समाप्त हो जाती है तथा इससे भूमि का आगे हस्तान्तरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे नामान्तकरण निरस्त किया जाकर रेकर्ड की पूर्व स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम रिड़ के खसरा नंबर 880 रकबा 1.87 हैक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत रिड़ के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 201 स्वीकृति दिनांक 06.03.2017 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की स्थिति नामान्तकरण स्वीकृति से पूर्व अनुसार कायम करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर मजमे–आम में सुनाया गया ।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)